न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 23/2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मृतक बालुराम पुत्र घड़सीराम।
1/1 मृतका श्रीमती धापा देवी बेवा बालुराम।
1/2 कुरड़ाराम पुत्र बालुराम।
1/3 गोरधन पुत्र बालुराम।
1/4 श्रीमती भगवती पुत्री बालुराम समस्त जाति जाट निवासीगण बास भीमसरिया तन कोलिण्डा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामेश्वर दतक पुत्र मामराज जाति जाट निवासी बास भीमसरिया तन कोलिण्डा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2 मृतक श्रीमती भानी बेवा गोपाल पुत्री मामराज जाति जाट निवासी दुधवा खारा जिला चूरू।
2/1 मृतक लेखराम पुत्र गोपाल।
2/1/1 श्रीमती परमेश्वरी बेवा लेखराम।
2/1/2 सतीश कुमार पुत्र लेखराम।
2/1/3 सुशील कुमार पुत्र लेखराम।
2/1/4 संजय कुमार पुत्र लेखराम।
2/2 बलबीर पुत्र गोपाल।
2/3 मृतक रामचन्द्र पुत्र गोपाल।
2/3/1 श्रीमती आशा देवी उर्फ सिणगारी स्त्री रामचन्द्र।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2/3/2 महीपाल पुत्र रामचन्द्र।
2/3/3 विजयपाल पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण दुधवा खारा तहसील व जिला चूरू।
2/3/4 विनोद देवी पुत्री रामचन्द्र स्त्री रामकिशन जाति जाट निवासी दुधवा खारा तहसील व जिला चूरू हाल निवासी नरसाराम का बास तहसील तारानगर जिला चूरू।
2/4 श्रीमती भाता उर्फ गोदावरी पुत्री गोपाल पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी जैतपुर तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
3 मृतका श्रीमती लिक्षमा पुत्री मामराज स्त्री मोकाराम जाति जाट निवासी नारसरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
3/1 पूर्णराम तथाकथित दतक पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी नारसरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ. धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.16 बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मुकदमा उनवानी रामेश्वर बनाम बालुराम पुराना मु.नं. 30/2004 नया मुकदमा नं. 22/2013 दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

अपील संख्या 50/2017

1 रामेश्वर पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी बास भीमसरिया तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 कुरड़ाराम पुत्र बालुराम।
2 गोरधन पुत्र बालुराम।
3 भगवती पुत्री बालुराम।
4 रामेश्वर तथाकथित दतक पुत्र मामराज समस्त जाति जाट निवासीगण बास भीमसरिया तन कोलिण्डा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
5 परमेश्वरी बेवा लेखराम।
6 सतीश कुमार पुत्र लेखराम।
7 सुशील कुमार पुत्र लेखराम।
8 सजय कुमार पुत्र लेखराम।
9 बलबीर पुत्र गोपाल।
10 रामचन्द्र पुत्र गोपाल (मृतक)।
10/1 आशा देवी पत्नी रामचन्द्र।
10/2 महीपाल पुत्र रामचन्द्र।
10/3 विजयपाल पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण दुधवा खारा तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
10/4 विनोद देवी पुत्री रामचन्द्र पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी नरसा का बास तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
11 श्रीमती भाता उर्फ गोदावरी पुत्री गोपाल पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
12 पूर्णराम तथाकथित दतक पुत्र मोकाराम व लिछमा जाति जाट निवासी नारसरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2016
बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर बमुकदमा
उनवानी रामेश्वर बनाम बालुराम वगैरह दावा बाबत
घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 22/2013

उपस्थित

1. श्री रणजीत सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री शिवनारायण सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 28.3.19

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा वाद संख्या 22/2013 (30/2004) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। यह दोनों अपीले एक ही निर्णय के विरूद्व होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलीयों में पृथक–पृथक रखी जाये।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचाराधीन वाद उक्त उनवानी वर्ष 1986 से दर्ज होकर पुन दर्ज वाद 30/2004 उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू एवं उसके बाद क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी एवं सहायक कलक्टर कार्यालय में वाद संख्या 22/2013 है। पत्रावली के अनुसार संशोधित वाद पत्र दिनांक 28.12.1996 को प्रस्तुत हुआ है। वादी रामेश्वर दत्तक पुत्र मामराज ने ग्राम कोलिडा की भूमि खसरा नम्बर 348,346,340,341,342 मृतक मामराज की खातेदारी की होना, विवादित भूमि पैतृक होना कथन कर अनुतोष चाहा कि वाद वादी डिक्री किया जाकर इस्तकरारहक इस अमर का फरमाया जावे कि वाद की धारा 9 में वर्णित भूमि वादी की खातेदारी व काश्त की है और वाद की धारा 9 में वर्णित तारीखों को उक्त भूमि को बिचौती पत्र मृतक मामराज ने प्रतिवादी बालूराम के हक में करवाये है और वादी के हकों पर भी बेअसर है। प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे व काश्त में बाधा न डाले तथा बेदखल करने की कार्यवाही न करें। इस्तदुआ भी की जाती है कि वाद की धारा 9 में वर्णित जमीन पर दावे के दौरान प्रतिवादी बालूराम कब्जा करले या उसका कब्जा माना जावे तो वादी को कब्जा भी दिलाया जावें। वाद पत्र की धारा संख्या 9 में अंकित है कि " मृतक मामराज ने जो बिचोती पत्र गुप्ति रूप से साजसी प्रतिवादी बालुराम के नाम से कराये है प्रतिवादी बालुराम के हक में एक बिचोती पत्र खसरा नम्बर 348 में से पश्चिम की तरफ की 19 बीघा पुख्ता जमीन व जमीन खसरा नम्बर 346 में से उत्तर पश्चिम की तरफ की 8 बीघा 5 बिस्वा जमीन 3 हजार रूपये में बेचान दिखाकर 07.08.1963 को बिचोती लिखवाना बताकर 08.08.1963 को सब रजिस्ट्रार, झुंझुनू के यहां रजिस्ट्री कराना बताया है खसरा नम्बर 348 की 19 बीघा जो बिकी की गई उसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार दर्ज की है पूर्व में इसी खसरा नम्बर की बाकी जमीन पश्चिम में मगा का खेत, उत्तर में खेत माला व रामलाल, दक्षिण में खसरा नम्बर 346 की जमीन, तथा खसरा नम्बर 436 में से 8 बीघा 5 बिस्वा जमीन बिकी करना बताया है उसकी चतुर्थ सीमा निम्न

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकार है पूर्व में इसी खसरा नम्बर 346 की बाकी जमीन, पश्चिम में मंगाराम का खेत, उतर में जमीन खसरा नम्बर 348, दक्षिण में खसरा नम्बर 346 की बाकी जमीन खसरा नम्बर 348 में 6 बीघा 15 बिस्वा जमीन मृतक मामराज द्वारा प्रतिवादी बालुराम को 08.10.1963 को 900 रूपये में बिक्री करना बताकर बिचोती पत्र सब रजिस्ट्रार के यहां पंजिकृत करना बताया है। इस जमीन की चतुर्थ सीमा इस प्रकार है। पूर्व में इसी खसरा नम्बर 348 की जमीन, पश्चिम में भी खसरा नम्बर 348 की जमीन, उतर में खेत माला रामलालका, दक्षिण में इसी खसरा नम्बर की बाकी जमीन खसरा नम्बर 348 में से एक बीघा 5 बिस्वा जमीन मृतक मामराज द्वारा प्रतिवादी बालूराम को 170 रूपये में 22.07.1964 को बिक्री करना बताया है तथा इस बिचोती पत्र की रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार झुंझुनू के यहां करना बताया है जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार है। पूर्व में खसरा नम्बर 348 की जमीन, उतर में इसी खसरा नम्बर की जमीन, दक्षिण में खसरा नम्बर 346 की जमीन, जमीन खसरा नम्बर 346 में से 9 बीघा पुख्ता जमीन मृतक मामराज द्वारा प्रतिवादी बालुराम को बिक्री करना 2000 रूपये में बताया है जिसका बिचोती पत्र 12.05.1969 को लिखवाकर सब रजिस्ट्रार झुंझुनू के यहां रजिस्ट्री करना बताया है इस जमीन की चतुर्थ सीमा इस प्रकार है, पूर्व में चूना व हनुमान के खेत, पश्चिम में खसरा नम्बर 346 की जमीन, उतर में खसरा नम्बर 348 की जमीन, दक्षिण में इसी खसरा नम्बर की जमीन है। वादी रामेश्वर द्वारा यह वाद मृतक बालुराम के वारिसान एवं मृतक भानी के वारिसान के विरूद्व प्रस्तुत कर विकय पत्र दिनांक 08.08.1963, 08.10.1963, 22.07.1964, 12.05.1969 का विवरण वाद पत्र के पैरा संख्या 09 में अंकित कर इनके सन्दर्भ में अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त कर प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का वादी से जवाब प्राप्त कर 11 तनकीयात कायम की

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

गई। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2016 से वाद वादी स्वीकार कर वादी को विवादित भूमि खसरा नम्बर 348,346 का खातेदार काश्तकार घोषित किया है एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण 1/1 से 1/4 की और से अपील संख्या 23/2016 प्रस्तुत की गई है। इसी निर्णय के विरूद्व रामेश्वर पुत्र पन्नाराम की और से अपील संख्या 50/2017 धारा 5 व धारा 96 सीपीसी के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीले एक ही निर्णय के विरूद्व होने से अपील संख्या 50/2017 को अपील संख्या 23/2016 के साथ कन्शोलिडेट किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दावे की मद संख्या 9 में 4 रजिस्ट्री का अंकन है मृतक बालुराम ने मामराज से भूमियां कय की है। रामेश्वर ने मामराज का दत्तक पुत्र होने के आधार पर दावा किया है जबकि मामराज के दो बेटियां भी है। रामेश्वर दान पत्र को प्रारम्भ से शून्य बता रहा है हमने जवाब दिया है कि विवादित भूमि पैतृक नही है। हाई कोर्ट ने दान पत्र शून्य घोषित कर दिया, मामराज को विकय करने का हक था धारा 145 की निगरानी में हाई कोर्ट ने बालुराम का कब्जा घोषित किया है। विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि मामराज की पैतृक होने सम्बंधि कोई साक्ष्य नही दिया है। अपीलांट पक्षकार नही था अत लिस पेन्डेश का सिद्वान्त लागु नही है वादी का वाद मियाद बाहर है। पंजिकृत विकय पत्रों को सिविल न्यायालय से शून्य घोषित नही करवाया है दावे में वादकरण अंकित नही किया गया है विचारण न्यायालय ने वाद कथन, अनुतोष से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार विवादित भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा है कब्जे के अभाव में

घोषणा का वाद पोषणीय नही था विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावें अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2007(1) पेज 659, आर.आर.टी. 2008(1) पेज 648, डी.एन.जे. 2014 पेज 260, ए.आई.आर 2007 (एस.सी.) पेज 1499, ए.आई.आर. 2001(एस.सी.) पेज 2607, आर.आर.डी. 1999 पेज 241, आर.एल. डब्ल्यू 2001(3) पेज 1605, आर.आर.डी. 1984 पेज 873, आर.एल.डब्ल्यू. 1977 पेज 131 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है रामेश्वर का इसमें जन्म से अधिकार है विवादित भूमि पैतृक होना सिविल न्यायालय से तय हो चुका है। लिस पेंडेन्स के सिद्वान्त के अनुसार दावे के लम्बित रहते निष्पादित विक्रय पत्र वोयड है घोषणा के वाद के लिए कोई मियाद नही होती है धारा 145 की कार्यवाही राजस्व न्यायालय में लागु नही होती है विचारण न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील सारहीन है खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 1969 पेज 507, ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पेज 1132, ए.आई.आर. 1999 पेज 435, ए.आई.आर. 2000(राज) पेज 228, आर.एल.डब्ल्यू. (3) 2002 पेज 393, आर.आर.टी. 2005(1) पेज 656, आर.आर.डी. 1995 पेज 532, आर.आर.डी. 1995 पेज 478, आर.आर.डी. 1995 पेज 368 आर.आर.डी. 1995 पेज 760, आर.एल.आर. 1984 पेज 113, आर.आर.डी. 1996 पेज 393, आर.आर.डी. 1984 पेज 280, आर.आर.डी. 1981 पेज 171, ए.आई.आर. 1971 (राज) पेज 164, आर.डी.डी. 2005 (9) पेज 3801, आर.एल.डब्ल्यू. 2000(2) पेज 1072, आर.एल.डब्ल्यू. 2012(2) पेज 906, आर.एल.

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डब्ल्यू 2011(1) पेज 101, आर.आर.डी. 2010 पेज 8, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 474, डी.एन.जे. (एस.सी.)2015 पेज 1088, डी.एन.जे. 2010(2) पेज 1008, डी.एन.जे. 2013(2) पेज 752 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

अपील संख्या 50/2017 में अपीलांट के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा न तो हमे पक्षकार बनाया गया, न ही हमारे विक्रय पत्र को चुनौती दी गई ऐसी स्थिति में हम प्रभावी पक्षकार है विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय से हमारे हक अधिकार प्रभावित होते है। अत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही था अपीलांट का पिता पन्नाराम डी.डब्ल्यू.2 के रूप में विचारण न्यायालय में पेश हुये है इनको दावे की जानकारी थी। विक्रय पत्र लिस पेंडेन्स से बाधित है यह प्रभावित पक्षकार नही है विचारण न्यायायल का निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा की "वाद वादी डिक्री किया जाकर इस्तकरारहक इस अमर का फरमाया जावे कि वाद की धारा 9 में वर्णित भूमि वादी की खातेदारी व काश्त की है और वाद की धारा 9 में वर्णित तारीखों को उक्त भूमि को बिचौती पत्र मृतक मामराज ने प्रतिवादी बालूराम के हक में करवाये है और वादी के हकों पर भी बेअसर है। प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे व काश्त में बाधा न डाले तथा बेदखल करने की कार्यवाही न करें।

Lamo
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इस्तदुआ भी की जाती है कि वाद की धारा 9 में वर्णित जमीन पर दावे के दौरान प्रतिवादी बालूराम कब्जा करले या उसका कब्जा माना जावे तो वादी को कब्जा भी दिलाया जावें। वाद पत्र की धारा संख्या 9 में अंकित है कि " मृतक मामराज ने जो बिचोती पत्र गुप्ति रूप से साजसी प्रतिवादी बालुराम के नाम से कराये है प्रतिवादी बालुराम के हक में एक बिचोती पत्र खसरा नम्बर 348 में से पश्चिम की तरफ की 19 बीघा पुख्ता जमीन व जमीन खसरा नम्बर 346 में से उतर पश्चिम की तरफ की 8 बीघा 5 बिस्वा जमीन 3 हजार रूपये में बेचान दिखाकर 07.08.1963 को बिचोती लिखवाना बताकर 08.08.1963 को सब रजिस्ट्रार, झुंझुनू के यहां रजिस्ट्री कराना बताया है खसरा नम्बर 348 की 19 बीघा जो बिक्री की गई उसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार दर्ज की है पूर्व में इसी खसरा नम्बर की बाकी जमीन पश्चिम में मगा का खेत, उतर में खेत माला व रामलाल, दक्षिण में खसरा नम्बर 346 की जमीन, तथा खसरा नम्बर 436 में से 8 बीघा 5 बिस्वा जमीन बिक्री करना बताया है उसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार है पूर्व में इसी खसरा नम्बर 346 की बाकी जमीन, पश्चिम में मगाराम का खेत, उतर में जमीन खसरा नम्बर 348, दक्षिण में खसरा नम्बर 346 की बाकी जमीन खसरा नम्बर 348 में 6 बीघा 15 बिस्वा जमीन मृतक मामराज द्वारा प्रतिवादी बालुराम को 08.10.1963 को 900 रूपये में बिक्री करना बताकर बिचोती पत्र सब रजिस्ट्रार के यहां पंजिकृत करना बताया है। इस जमीन की चतुर्थ सीमा इस प्रकार है। पूर्व में इसी खसरा नम्बर 348 की जमीन, पश्चिम में भी खसरा नम्बर 348 की जमीन, उतर में खेत माला रामलालका, दक्षिण में इसी खसरा नम्बर की बाकी जमीन खसरा नम्बर 348 में से एक बीघा 5 बिस्वा जमीन मृतक मामराज द्वारा प्रतिवादी बालूराम को 170 रूपये में 22.07.1964 को बिक्री करना बताया है तथा इस बिचोती पत्र की रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार झुंझुनू के यहां

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुंझुनूं

करना बताया है जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार है। पूर्व में खसरा नम्बर 348 की जमीन, उतर में इसी खसरा नम्बर की जमीन, दक्षिण में खसरा नम्बर 346 की जमीन, जमीन खसरा नम्बर 346 में से 9 बीघा पुख्ता जमीन मृतक मामराज द्वारा प्रतिवादी बालुराम को बिकी करना 2000 रूपये में बताया है जिसका बिचोती पत्र 12.05.1969 को लिखवाकर सब रजिस्ट्रार झुंझुनू के यहां रजिस्ट्री करना बताया है इस जमीन की चतुर्थ सीमा इस प्रकार है, पूर्व में चूना व हनुमान के खेत, पश्चिम में खसरा नम्बर 346 की जमीन, उतर में खसरा नम्बर 348 की जमीन, दक्षिण में इसी खसरा नम्बर की जमीन है। वादी रामेश्वर द्वारा यह वाद मृतक बालुराम के वारिसान एवं मृतक भानी के वारिसान के विरूद्व प्रस्तुत कर विक्रय पत्र दिनांक 08.08.1963, 08.10.1963, 22.07.1964, 12.05.1969 का विवरण वाद पत्र के पैरा संख्या 09 में अंकित कर इनके सन्दर्भ में अनुतोष चाहा गया"।

विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय के अन्तिम पैरा में जो निर्णय पारित किया है वह इस प्रकार है कि " उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के बाद वाद वादी रामेश्वर दत्तक पुत्र मामराज जाति जाट निवासी बास भीमसरिया तहसील हाल मलसीसर जिला झुंझुनू का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम बास भीमसरिया तन कोलिण्डा हाल तहसील मलसीसर के वाद पत्र में अंकित गत खसरा नम्बर 348 तादादी 62 बीघा पुख्ता व खसरा नम्बर 346 तादादी 33 बीघा 13 बिस्वा का वादी रामेश्वर दत्तक पुत्र मामराज जाति जाट निवासी बास भीमसरिया तन कोलिण्डा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 वारिसान बालूराम का काउंटर क्लेम खारिज किया जाता है। दानपत्र की रूह से मृतका भानी के नाम को जमाबंदी से हटाते हुये वादी रामेश्वर दत्तक पुत्र मामराज का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुंझुनूं

तहसीलदार मलसीसर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिकी पर्चा जारी हो।

प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित भूमि के सन्दर्भ में सिविल न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय से पारित निर्णयों के आधार पर विवादित भूमि के सन्दर्भ में मामराज द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र के आधार पर केतागण का कब्जा होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। वादी ने किसी भी विधिक प्रकिया से यह कब्जा आदिनांक तक प्राप्त नही किया है न ही विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवाया है। कब्जे के अभाव में, कब्जा प्राप्ती का अनुतोष चाहे बिना घोषणा का वाद पोषणीय नही है इसकी पुष्टि ए.आई.आर. 2007 सुप्रिम कोर्ट पेज 1499 में पारित न्यायिक दृष्टांत से होती है। जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि" **Mere suit for declaration without claiming relief of possession- Not tenable.** इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने न तो गौर किया न ही कोई विवेचन किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी सरसरी तौर पर पारित किया जाना पाया जाता है जो विधि विरूद्व है।

विचाराधीन निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत अपील रामेश्वर पुत्र पन्ना द्वारा प्रस्तुत की गई है। जो धारा 96 व धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में वादी ने अपने वाद में केवल विक्रय पत्र दिनांक 08.08.1963, 08.10.1963, 22.07.1964 एवं 12.05.1969 को वादी के हको पर बेअसर घोषित करने का अनुतोष चाहा है अपीलांट रामेश्वर अथवा उसके पिता पन्ना को न तो प्रतिवादी बनाया है, न ही उसके विरूद्व कोई अनुतोष चाहा है, ऐसी स्थिति में अपीलांट की धारा 96 व धारा 5 के आवेदन न्यायहित में स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दी जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है। विवादित भूमि में पन्ना द्वारा जरिये पंजीकृत विकय पत्र भूमि कय की गई। विकय पत्र के आधार पर वह खातेदारी दर्ज करवाने के प्रथम दृष्टया अधिकारी है क्योंकि विचाराधीन वाद में न तो उन्हे पक्षकार बनाया गया, न ही उनके विकय पत्र को चुनौती दी गई न ही इस सन्दर्भ में कोई अनुतोष चाहा गया एवं वादी द्वारा इस विकय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त भी नही करवाया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी प्रथम दृष्टया ही विधि विरुद्व एवं खारिज योग्य पाया जाता है अत दोनों अपीले स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.3.19 को सरे इजलास सुनाया गया।

28.3.19

(करतार सिंह पुनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

29.3.19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर